


कार्मागम, अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा

आदेश

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के संयुक्त जिला आदेश शापंक-
2598/अ, दिनांक 04-11-2013 तथा राजस्व परिषद, बिहार, पला की
अधिसूचना संख्या-4/टैक/30013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के
आलेख में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुहरम (मौहर) के अक्सर
पर दिनांक 14-11-2013 को जिला के सभी धाराब दुकानें बन्द रहेंगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।


प्र० अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

शाप संख्या 711/अ, दिनांक 07.11.2013


प्रतिरूप जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा/पुलिस अधीक्षक,
मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिरूप जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी (J.P.R.O.),
मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिरूप जिला सूचना विभाग अधिकारी, एन० अर्जुन सिंह,
मधेपुरा को बेषसाहस पर अपरोक्ष करने हेतु प्रेषित।

प्रतिरूप निरोधक उत्पाद, मधेपुरा सह अन्य सह अवर निरोधक
उत्पाद सहर सिंह उदाकिशुनगंज सह मद्यमण्डागार पदाधिकारी, मधेपुरा
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निवेदित किया
जाता है कि जिले की सभी धाराब दुकानों को बन्द कराना सुनिश्चित
करेंगे तथा सख्त गवती एवं दापाधारी करेंगे ताकि किसी भी शक से
धाराब को बिक्री नहीं हो सके।

प्रतिरूप प्रतिनिधि सर्वश्री मन्नाचर्म बोलीखंगा प्लाज्मा गार्ड,
देवी धाराब विनिर्माणशाखा, मधेपुरा/प्रबन्धक, को० एम० को० सी० एल०
देवी धाराब/मसालेदार देवी धाराब/विदेवी धाराब, मधेपुरा को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्र० अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।